न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/27/2020

संजय शर्मा मार्फत ई–1, 452, प्रथम तल,सैक्टर नं.1 चित्रकूट,वैशाली नगर,जयपुर ।

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.03.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि संजय शर्मा मार्फत ई–1, 452, प्रथम तल,सैक्टर नं.1 चित्रकूट,वैशाली नगर,जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 10.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज0 जयपुर के यहां पेश की गई, किन्तु प्रथम अपील वहां पर पोषणीय नहीं होने से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज0 जयपुर के कार्यालय से उनके पत्र क्रमांक 623 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा यह अपील इस कार्यालय को दिनांक 18.02.2020 को प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/155 दिनांक 24.02.2020 से उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से उनके पत्रांक 1822 दिनां 06.03.2020 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.) कामां,नगर,डीग–कुम्हेर,भरतपुर,नदबई,वैर एवं बयाना से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 10827 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.) कामां,नगर,डीग–कुम्हेर,भरतपुर,नदबई,वैर एवं बयाना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित कर दिया गया है । उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 10827 दिनांक 24.12.2019 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) कामां,नगर,डीग–कुम्हेर,भरतपुर,नदबई,वैर एवं बयाना को यह भी निर्देशित किया

गया है कि वांछित सूचनाऐं प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना से उन्हें भी सूचित किया जावे , किन्तु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्धी रिपोर्ट न तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर को भेजी गई है और न इस कार्यालय को प्रेषित की गई है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारियों ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) कामां,नगर,डीग–कुम्हेर,भरतपुर,नदबई,वैर एवं बयाना को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) कामां,नगर,डीग–कुम्हेर,भरतपुर,नदबई,वैर एवं बयाना को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:53:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: